तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम की तामील
	8/1/16 बकुलाय पक्षकारान उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजस्वकार्य होने से प्रकरण दि. 19/2/16 को पेश हो।	
	19/2/16 पत्रावली पेश हुयी। पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्य अवकाश/ [illegible] कार्य में व्यस्त रहने पर है। फरीकेन उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 1/4/16 को पेश हो।	
	1/4/16 पत्रावली [illegible] राजस्वकार्य [illegible] फरीकेन [illegible] पत्रावली [illegible] 13/5/16 को पेश हो।	
	10/6/16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर 'न्याय आपके द्वार' मुकाम बैकरिया में प्रस्तुत। वादी एवं प्रतिवादी गण को मौके पर समझाईश की गई परन्तु दोनो पक्षों द्वारा समय चाहा गया। समय दिया जाकर दोनो पक्षों द्वारा अवगत कराया गया की हमारा आपसी समझौता हो चुका है अतः पत्रावली पुनः दिनांक 11.6.16 को राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत सेणा का वास में प्रस्तुत हुई। जहां दोनो पक्षों की उपस्थिति में वादी पक्ष का कथन है की मुल वाद का मुल पुरुष जेता है जिसके पांच लडके हुए रतना, हीमता, मोती, जुमा एवं केशा। रतना बड़ा भाई होने से उक्त विवादित आराजीयात रतना के नाम दर्ज हो गये अन्य भाईयो के नाम जुडने से रह गये। समरा खातदान अनुसार उक्त सभी एक ही परिवार से है एवं दोनों पक्षों ने भी स्वीकार किया। वादी एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा राजीनामा पत्र प्रस्तुत किया आये निवेदन किया की मौजा बैकरीया पटवार हल्का बैकरीया की जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 के खाता सं० 578 में हीमता पिता जेता के विरासत नामान्तरण सं० 1299 के अनुसार उक्त वाद में वर्णित जमाबन्दी के	वादी मोती बाबु बाबु गणेश ललाराम जुमा केशा प्रतिवादी

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वादी मोती	किसी प्रकार की कोई आपत्ती नहीं है। अतः शिविर में उपस्थित, सरपंच, अध्यापक एव नोतबिसन के समक्ष वादी एव प्रतिवादीगण में राजीनामा होने से मौजा बैंकीया पटवार क्षेत्र बैंकीया तह० कोटड़ा की जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 के खाता संख्या 52 में कुल किता 25 रकबा 8.14 में काला पिता रता को 1/4 मोती पिता जेता को 1/4 बाबु, भाना पिता खुमा 1/6 लाला, जीता पिता पन्ना को 1/12 पुना, राणा, नाथा पिता केशा मु० पुन्नी पत्नि स्व केशा 1/4 को खातेदार घोषित किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो कर संख्या से कम की जाये। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा (जिला उदयपुर)	सरपंच ग्राम पंचायत बैंकरिया पं.स. कोटड़ा, जि. उदयपुर मो (मोती लाल ... व.अ. राउमावि ...)

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ~~गोगुन्दा~~ कोटड़ा जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल लाल मीना (RAS) कोटड़ा

मुकदमा 20/12 सन् 22/6/12 सीगह

श्री मोती पिता जेता, बापू पिता खुमा, भाणा पिता खुमा, लाला पिता पन्ना वगैरह निवासी बनाम श्री काला पिता रतना निवासी- बेकरीया

दावा बाबत् 53,88 RT Act.

यह मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री गोपाल लाल मीना के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी की ओर से वकील श्री — प्रतिवादी की ओर से वकील — की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा बेकरीया पटवार हल्का बेकरीया तहसील कोटड़ा की जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 के खाता संख्या 52 कुल किता 25 रकबा 8.14 में काला पिता रता को 1/5 मोती पिता जेता को 1/5 बापु, भाणा पिता खुमा 1/6 लाला, जीता पिता पूना को 1/1 पुना, राणा, नाथी पिता केशा मु० चुन्नी पत्नि स्व केशा को 1/1 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे .... रुपये की राशि — आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर — प्रतिशत की दर से ब्याज सहित — द्वारा — को दी जाये।

यह आज तारीख 10/6/16 मार .... सन् .... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(मुहर: ... उदयपुर ...)

(हस्ताक्षर)
(गोपाल लाल मीना)
हस्ताक्षर न्यायाधीश
पद उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा (जिला उदयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		
योग			योग		

(हस्ताक्षर) (गोपाल लाल मीना)